ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 3 Jan. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact factor-4.2 Research Journal

lpuk ik|kfxdh dk Ñf"k ij iHkko ¼e.Myk fty dh xkM tutkfr d lnHk e½

fuf[ky pkjfl ;k
शोधार्थी, (एम. फिल. समाजशास्त्र), समाजशास्त्र व समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रस्तुत शोधपत्र मडंला जिलें की बिछिया तहसील के अंर्तगत गौड़ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र पर किए जा रहे है शोधकार्य पर आधारित है।

वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र अभूतपूर्व उन्नति हुई है सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्रांतिकारी विज्ञान है जिससे जनजाति जीवन के अनेक पहुल प्रभावित हो रहे है। सूचना प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी विषय की जानकारी जो ब्रम्हांड में कही भी उपलब्ध है किसी भी समय भी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने जनजातियों की कृषि पध्दति में परिवर्तन किया है आदिकाल में जनजातियों मे कृषि केवल जीवको उपार्जन का साधन थी जनजाति कृषि कंद मूल, वनसंपदा एवं प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर रहती थी। लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास ने कृषि के क्षेत्र में टेक्ट्रर, सिंचाई के पम्प, उर्वरकों, बीजों, औजारों के उपयोग से कृषि के उत्पादन में वृध्दि हुई है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। वर्तमान में विज्ञान के बड़ते प्रभाव के कारण भारतीय कृषकों की दुनिया बदल रही है तथा एक नए युग का सुत्रपात हो रहा है। विकास क्रम तेजी से हो रहा है। भारतीय कृषक आधुनिक तरीके भी अपनाने लगे है। आधुनिक तकनीक अपनाकर मनुष्य प्राचीन काल की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादन करने लगा है। इस प्रकार कृषि ने मानव सभ्यता को एक नए आयाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि का विकास केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न होकर सुव्यवस्थित विपणन पद्धति में भी नीहित है। कृषि विकास के साथ व्यापारिक फसलों का महत्व एवं विपणन का महत्व भी बढ़ रहा हैं वर्तमान में कृषि निर्वाह का साधन न होकर एक व्यवसाय बन गई।

वैश्वीकरण आधुनीकरण, पश्चिमीकरण प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप है विकास के क्रम में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही नए अविष्कार होते चलें गए और आज हम जिसे संसार में पहुॅच गए वह आज सूचना समाज के नाम से जाना जाता है।

गौड़ जनजाति समुदाय का जीवन प्रकृति पर आधारित रहा है आखेट युग से लेकर आधुनिक युग तक उसकी जीवन शैली सामाजिक व्यवस्था रीतिरिवाज धार्मिक, विश्वास खान – पान रहन सहन आचार विचार प्रथाए इत्यादि गैर जनजाति समाज से भिन्न है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनजाति भी अछूती नही है। कृषि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण गौड़ जनजाति के कृषकों की दशा बदल रही है कृषक आज कृषि कार्य रासयनिक खाद, बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सिंचाई पंप इत्यादि वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करने लगें। ये जनजाति के लोग परम्परागत रूप से खेती न करते हुए आधुनिक कृषि स्वरूप को अपना लिए है। परपरांगत रूप से लोग सूचना के लिए अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अन्य किसानों पर निर्भर रहते थे कृषको के पास कोई प्रमाणिक स्त्रोत नही होता था लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है।

आज वर्तमान में शोध क्षेत्र के जनजाति कृषक सूचना के लिए, रेडियो, टेलीविजन, मोबाईल, इन्टरनेट इत्यादि माध्यमों की सहायता से कृषि कार्य कर रहे है।

सरकार के विभिन्न प्रयास से आज कृषि के क्षेत्र विज्ञान व टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उत्पादन रहा है और जनजाति इन वैज्ञानिक तरीको को अपना रही है।

भारत सरकार का किसान पोर्टल, विभिन्न योजनाऐ, किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा एप इत्यादि के माध्यम सें जनजाति कृषि कार्य कर रही।

ई – गर्वनेस के अंर्तगत किसान कॉल सेंटर ने तो कृषको को सूचना का एक नवीन मार्ग प्रशस्त

किया है। कृषक 1551 पर अपने मोबाईल के माध्यम से कृषि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे है।

अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं ने बताया कि वे वर्तमान में अब आधुनिक तरीके से कृषि कार्य कर रहे है जिससे उनकी कृषि उत्पादन बढ़ा है।

v/;;u {k= e mRrjnkrkvk [krh dk rjhdk

Ø-	विवरण	उत्तरदाता संख्या	ifr'kr
1	परंपरागत तरीके	76	19
2	आधुनिक तरीके	243	60.75
3	दोनों	81	20.25
	;kx	400	100

अध्ययन क्षेत्र में यह पाया गया कि 19 प्रतिशत उत्तरदाता परपरांगत तरीके से जबकि 60.75% आधुनिक तरीके जबकि 20.25% दोनो तरीके से कृषि कार्य कर रहे है।

fu"d"k – वर्तमान में हम यह निश्चित रूप से यह कह सकते है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से जनजाति क्षेत्रों में भी कृषि उत्पादन बढ़ा है। प्रौद्योगिकी के विकास से जनजाति के विकास की भी अपार संभवनाए दिखाई दे रही। आज जनजाति क्षेत्रो में भी इन्टरनेट, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर व अन्य तकनीको के माध्यम से अनेक कार्य किए जा रहे है।

lanHk xFk lph %&

1. अग्रवाल रामभरोस 1988 गौड़ जाति का सामाजिक अध्ययन गौड़ पब्लिक ट्रस्ट लोक संस्कृति संग्रहालय मंडला
2. तिवारी शिवकुमार शर्मा म. प्र. की जनजाति समाज व्यवस्था म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी रवीन्द्र नाथ ठाकुर मार्ग बाणगंगा भोपाल।
3. अग्रवाल गिरजाशंकर 2004 आदिवासी जिला मण्डला गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट मंडला।
4. शर्मा डां. वी के सूचना विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विवेचानात्मक अध्ययन वाई के पब्लिशर्स आगरा।
5. नीरज राव सूचना प्रौद्योगिकी व सामाजिक संरचना पब्लिशर्ष आगरा।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 3 Jan. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact factor-4.2 Research Journal

कक्षा सातवीं के गणित विषय हेतु गतिविधि शिक्षण का विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया इंदौर शहर के विशेष संदर्भ में

वर्षा कापसे
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, बरकतुल्हा, विश्वविद्यालय भोपाल

प्रस्तावना :– गणित शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा वेदो द्वारा यह माना गया है कि मातृभाषा के बाद यदि कोई विषय विद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए तो वह है ''गणित''। अतः शिक्षा में गणित का अग्रज स्थान है। यह अपसारी चिंतन का दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। जिससे रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गणित का प्रयोग प्रतिदिन किया जाता है। विश्व में प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में गणित का आदि है। अतः गणित का अस्तित्व हर जगह विद्यमान है। जिस प्रकार मयूर के सर पर कलगी उसी प्रकार वेदो व शास्त्रों में भी गणित का उच्च स्थान है। गणित की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं लेकिन हम व्यवहारिक रूप से कह सकते है। कि गणित वैज्ञानिक संस्था शब्द तथा चिन्ह आदि है जिसके द्वारा हम वस्तु का परिमाण, दिशा व क्षेत्र का ज्ञान कर सकते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि गणित एक साधन है जो बच्चे को प्रशिक्षित करता है सोचने का कारण दूसरे विषयों से अलग होते हुए अपने पर संस्था वयवस्था रखता है। जो कि अद्वितीय है। अतः कहा जाता है कि ''गणित'' अंको का विज्ञान है।

गणित का अर्थ :– गणित शब्द का हिन्दी अर्थ गणित का आकलन करना है गणित शब्द को हम परिभाषित करते हुये कह सकते है कि गणित एक प्रकार से विज्ञान का मापन, परिमाण व परिणाम है।

गणित के सिद्धांत :– शाइनचेन के अनुसार गतिविधि शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत दिये गये है।

1. शिक्षण में छात्र किया का सिद्धांत
2. करके सीखने का सिद्धांत
3. शिक्षण में खेल विधि का सिद्धांत
4. ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण का सिद्धांत
5. अनुशासन के स्वाभाविक स्वरूप का सिद्धांत
6. स्वयं किया द्वारा स्वतंत्रता का सिद्धांत
7. बालक की स्वाभाविक रूचियों का सिद्धांत
8. प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत
9. परस्पर सहयोग का सिद्धांत

विभिन्न आयोगों, नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के फ्रेमवर्क तथा एन.सी.ई.आर.टी. तथा सी.बी.एस.ई. के 2000 निर्देश जिसमें गणित पाठ्यक्रम में गतिविधि को सम्मिलित किया गया, यह गतिविधि के महत्व को रेखांकित करता है।

अध्ययन क्षेत्र एवं प्रविधिः– यह इन्दौर शहर के मध्यप्रदेश बोर्ड के कक्षा सातवी के विद्यार्थियों पर किया गया। प्रस्तुत शोध हेतु इन्दौर शहर में स्थित दो विद्यालयों शासकीय सरस्वती विद्या मंदिर और सन इंडिया पब्लिक स्कूल का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन दैव विधि द्वारा किया गया। न्यादर्श के अंतर्गत 60 विद्यार्थियों को लिया गया। जिसमें 30 विद्यार्थी प्रायोगिक समूह के अंतर्गत रखे गये। न्यादर्श में छात्र– छात्रा दोनों शामिल थे। न्यादर्श के लिये गतिविधि का माध्यम हिन्दी रखा गया। न्यादर्श में छात्र छात्राएं 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के थे। इनका सामाजिक, आर्थिक स्तर औसत था।

विद्यार्थियों की जानकारी निम्न तालिका में प्रस्तुत है। विद्यालय वार, समूह बार, लिंग बार विद्यार्थियों की जानकारी

कमांक	विद्यालय का नाम	समूह	लिंग		कुल
			छात्र	छात्रा	
1	शास. सरस्वती विद्या मंदिर इंदौर	प्रायोगिक	20	10	30

2	शास. सरस्वती विद्या मंदिर इंदौर	प्रायोगिक	12	18	30
कुल					30

शोध प्राकल्प :– प्रस्तुत शोध में दो समूहों का चयन किया गया जिन्हे पूर्व उपलब्धि परीक्षण दिये गये। तत्पश्चात् प्रायोगिक समूह को गतिविधि द्वारा उपचारित किया गया तथा नियंत्रित समूह को परम्परागत विधि से शिक्षण दिया गया। उपचार की अवधि 10 दिवस रही।

उपकरण :– प्रस्तुत शोध कार्य हेतु उपलब्धि परीक्षण एवं प्रतिक्रिया मापनी का उपयोग किया गया है। प्रदत्त गतिविधिः– शोध प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित संख्यिकीय तकनीकों को अपनाया गया।

1. **उपलब्धि परीक्षण :–** उपलब्धि परीक्षण शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित किया गया। यह परीक्षण विद्यार्थियों को पढायी गई गणित की विषयवस्तु पर आधारित है। परीक्षण में 15 बहुविकल्पीय प्रश्न एवं 5 खाली स्थान भरो? प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। परीक्षण की अवधि 45 मिनट थी।

2. **प्रतिक्रिया मापनी** :– प्रतिक्रिया मापन हेतु शोधार्थी द्वारा प्रतिक्रिया मापनी उपचार से संबंधित 20 कथनों को अबोध पर प्रभाव से संबंधित थे। प्रत्येक कथन हेतु तीन विकल्प रखे गये जो इस प्रकार थे :– सहमत, अनिश्चित, असहमत इनमें से किसी एक विकल्प पर विद्यार्थी को सही का चिन्ह लगाना था।

परिणाम एवं विवेचना :– गतिविधि समूह के विद्यार्थियों के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि माध्यों की तुलना हेतु सहसंबंध टी–टेस्ट का उपयोग किया।

1. पूर्व उपलब्धि की सहचर लेते हुए प्रायोगिक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के माध्यों की तुलना हेतु One Way Analysis Of Covariance का उपयोग किया गया।
2. विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में विकसित गतिविधि व सामग्री की प्रभाविकता के अध्ययन हेतु प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य :–

1. गतिविधि समूह के विद्यार्थियों के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि माध्यों की तुलना करना।
2. गतिविधि समूह और परम्परागत विधि समूह के उपलब्धि माध्यों की तुलना करना जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है।
3. गतिविधि की प्रभाविकता का विद्याथियों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अध्ययन करना।

परिणाम तालिका :–

तालिका कमांक 2

परीक्षण	N	Mean	SD	R	t – value
पूर्व परीक्षण	30	7.6333	2.822	0.312	8.831
पश्च परीक्षण	30	13.4333	3.276		

तालिका क्रमांक 3

उपलब्धि के संदर्भ में एकमार्गीय ANCOVA का सार
जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है।

विचरण के स्त्रोत	dt	S. Syx	Mssy. y	F
पूर्व परीक्षण	01	71.104	71.104	9.190
पश्च परीक्षण	57	441.481	7.737	
योग	58			

परिणामों की विवेचना :– उपरोक्त परीणामों के अध्ययन से पता चलता है कि कक्षा 7 वी के विद्यार्थियों के प्रायोगात्मक समूह को गतिविधि शिक्षण से पढानें पर उनकी उपलब्धि में सुधार हुआ है। अतः इस संदर्भ में दिया गया उपचार सार्थक रहा एवं परिणाम सकारात्मक रहे।

ISSN : 2394-3580 **Swadeshi Research Foundation** Vol. – 6, No. - 3 Jan. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact factor-4.2 Research Journal

ledkyhu miU;klk esa ukjh ixfr dk vk;ke

राकेश कुशवाहा
हिन्दी विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

सामाजिक दृष्टि से देखा जाये तो समाज में नारी की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किये गये। आर्थिक सुविधा के लिए पंचवर्षीय योजना का अविर्भाव महत्वपूर्ण है। कानून के द्वारा भी दलित और शोषित वर्ग की नारी की प्रगति में परिवर्तन लाया गया। नारी को सृष्टि का मूल माना गया है। जिसके अभाव में मनुष्य के आस्तित्व की कल्पना असंभव है। नारी उसके जीवन को संपूर्णता देती रही है। जननी, माता से लेकर प्रिया–पुत्री, सचहरी आदि कितनी भूमिकाओं को निभाते नारी सदा सर्वदा मानव की जिज्ञासा का विषय का विषय रही है। दार्शनिकों ने अनन्त जीवन की नित्य चैतन्य ज्योति रूप में उसे प्रतिष्ठा दी तो कला साधकों ने सृष्टिकर्ता के विश्राम के क्षणों में छोड़े गए उच्छवास में समस्त सौन्दर्य के अनुपम विधान की संज्ञा दी। नारी, स्त्री, रमणी, वामा, महिला आदि जाने कितने नामों से अलंकृत कर उसे विभूषित किया। सौम्य रूप में जगत हारिणी भव भय हारिणी आदि कहा गया तो अतृप्ता काम के कुटिल ब्याल में विषकन्या की संज्ञा भी दी गई। वस्तुतः पुरूष के प्रम्यांतर में दिये संपूर्ण कल्याण की प्रकाशिका भी नारी है। इसलिए उसकी दिव्यता के कारण उसे देवी कहा गया।

समाज वेत्ता मनु जब घोषणा करते है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवता तो वे एक साथ नारी के प्रति भारतीय दृष्किोण और नारी की सत्ता की महत्ता दोनों को उद्घाटित करते रहते हैं। मनु की उद्घोषणा भारतीय नारी के गौरव का गान है। नारी की उसी प्रगति यात्रा को हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विवेचित करने का प्रयास करेंगे।

ukjh ixfr dk lksiku &

- ukjh dh lRrk vkj & पाश्चात्य चिंतन धारा नारी के काम्या किंवा भोग्या रूप की ही आराधिका रही है यद्यपि अच्छे आचरण के लिए भीड़ से उत्तरदायी माना गया। अर्थात न केवल समाज वह संपूर्ण पृथ्वी की उत्तमता का कारक उत्तम नारी को मानते हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसी दिव्य चिंतना के बाद भी पाश्चात्य नारी भरे ही पुरूष की नारी नकल करने वाली तो बना डाला किंतु वह भूल गई कि वही पुरूष की प्रतिभूति नहीं, उसकी प्रेरणा शक्ति है।

- ukjh uj dh icy ij.kk & कभी मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था –

**एक नहीं दो–दो मात्राएं नर से भारी।''

आचार्य हरिशंकर दुबे लिखते हैं –

''नारी नर की प्रबल प्रेरणा, वह सांसो का संबल है।
नील गगन को नर चूमें, नारी के तप का ही फल है।

नारी को इसलिए पुण्यतोता कहा गया। पुत्री, पत्नि और माता रूप उसकी तीन भूमिकाएं निर्धारित की गई। पुत्री रूप में उसे दुहिता भी कहा गया। लोकमान्यता है कि बेटियां लक्ष्मीरूपा होती है। जन्म के साथ समृद्धि लेकर आती है और पति गृह जाती है, तो पिता घर से मानो श्री चली जाती है अर्थात पिता गृह को सूना कर जाती है। पत्नि रू॰ में नारी पति के घर को संवारती हैं। कहा जाता है ''मेहरी बिना देहरी तभी सोहती है जब घर में मेहरी हो।

माता रूप में नारी अपने जीवन की संपूर्णता प्राप्त करती है। अपने पुत्र–पुत्रियों की धारियत्री ही नहीं होती पालयत्री भी होती है। बच्चा अपने जीवन में अर्जित होने वाले संपूग्र ज्ञान से आधे से अधिक माता से ही प्राप्त करता है। बच्चे संस्कारवान तभी बनते है जब माताएं स्वयं संस्कारित हों।

पारिवारिक कलह एवं माता–पिता का मन–मुटाव से बच्चों का समुचित विकास नहीं हो पाता और बच्चे हीन मनोग्रंथियों के शिकार होते हैं। बच्चों के लिए माता–पिता का स्नेह और उनकी स्नेह छाया से बढ़कर संसार में अन्य कुछ नहीं। वास्तव में परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला तथा बाल जीवन के निर्माण

की आधारशिला होती है। क्योंकि बच्चों को आज्ञापालन, कर्तव्यपालन, आत्म त्याग, परोपकार तथा ईमानदारी की शिक्षा परिवार से ही मिलती है। परिवार का यह दायित्व होता है कि वह बच्चों की परवरिश करें और उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करें। आज के भागमभाग पूर्ण युग में ''औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप माता–पिता कार्याधिक्य के कारण अपने बच्चों की समुचित देखभाल करने में असमर्थ रहते हैं। आधुनिक युग ने स्वच्छन्द जीवन एवं व्यक्तिवाद की भावना से बच्चे उपेक्षित हो रहे हैं। पति–पत्नि और बच्चों के सीमित व्यवहार ने एक नई सोच का जन्म दिया है, जिससे कुछ अंशों तक नारी को राहत मिली है, वह बार–बार गर्भधारण और बच्चों के जन्मने की पीड़ा से मुक्ति पा रही है। छोटे–छोट बच्चों को संभालने मे उसके जीवन का बहुत बड़ा समय खर्च हो जाता था। वह भी इतिश्री हो जाती थी, उससे भी मुक्ति पा रही है। इस तरह सीमित परिवार की सोच ने भले बच्चों को संस्कार शून्य बनाया हो और नारी प्रगति के दूसरे अध्याय रचे हों, किंतु कुछ हद राहत भी प्रदान की है।

राजनीतिक कद और प्रशासनिक दबnck &

हमारे देश के संविधान में इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया हे कि स्त्री पुरूष संपन्न एवं विपन्न विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक समान है और उसको समान रूप आदर मिलना चाहिए। क्योंकि देश की एकता और अखण्डता, समानता एवं सौहार्द्र के लिए यह आवश्यक है। हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों का सदुपयोग करें। इन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रशासनिक कार्यों का विवेचन हम निम्न बिंदुओं से करने का प्रयास करेंगे–

एशिया में नारी शक्ति का बोलबाला – सदियों में दबी कुचली नारी ने अपने दम पर अपना दबदबा कायम किया है। अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में ही नहीं दुनिया के तमाम विकसित देशों में नारी कि स्थिति वैसी नहीं जैसी एशिया महाद्वीप में लंका की प्रधानमंत्री श्रीमति सिराभाओं भण्डारनायके, राष्ट्रपति श्रीमति चंद्रिका कुमार तुंगा ही नहीं, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों, बांग्लादेश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शेख खालिदाजिया, शेख हसीना जावेद के साथ भारत में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमति मीरा कुमार, श्रीमति सुमित्रा ताई महाजन, राज्य सभा की उपसभापति श्रीमति नजमा हेपतुल्ला, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज, यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, अनेक राज्यों की मुख्य मंत्री तथा स्र्वोच्च न्यायालय की न्यायधीश के पद तक नारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है।

विराट विश्व चेतना के प्रवाह में भारतीय नारी अपना स्थान बनाती जा रही है। मध्यकालीन भारतीय नारी को जो रूपांतरण आधुनिक काल में हो रहा है, उसे स्पष्ट करती हुई प्रसिद्ध समाज शास्त्री और भारतीय नारियों पर काम करने वाली डॉ. प्रमिला कपूर लिखती है कि ''भारतीय सामाजिक जीवन सभ्यता के संपर्क के फलस्वरूप उसमें बड़ी उथल–पुथल हो गई, सामाजिक क्षेत्र में सतीदाह, कन्यावध, बाल–विवाह, बहु विवाह, पर्दाप्रथा, स्त्री शिक्षा आदि उपयोगी सुधारों के प्रचार से समाज का काया–पलट हो गया था। आज भारतीय नारी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति सजग है।

jktuhfrd f{kfrt dh vkj & हम पूर्व में निवेदन कर चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद से लेकर विविध राजनैतिक पदों तक आज भारत की नारी सुशोभित है। आंकड़ों की दृष्टि से विचार करें तो हम पाते है कि 1926 से नारियों ने विधान मण्डलों में प्रवेश करना आरंभ किया था जो कि महारानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, रजिया बेगम, अवंती बाई लोधी और जाने कितने नामों से वह राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इतिहास के पन्नों की पड़ताल न भी करें तब भी यह कह सकते हैं कि 1938 के चुनाव दुर्गाबाई, रेणुका राय, सरोजनी नायडू तथा हंसा मेहता आदि महिलाओं ने सफलता प्राप्त की। सन 1952 में पार्लियामेंट में 42 स्त्रियां सदस्य थी। 23 लोकसभा की और 19 राज्य सभा की। इसी वर्ष राज्यों के विधान मण्डलों में स्त्रियों की संख्या 58 थी। सन् 1957 में 50 स्त्रियां पार्लियामेंट की सदस्य बनी। 27 लोकसभा ओर 23 राज्यसभा की। 343 स्त्रियों में राज्य विधान मण्डलों के लिए चुनाव लड़ा, जिनमें से 195 ने सफलता की। सन 1962 और 1967 में पार्लियामेंट में स्त्रियों की संख्या क्रमशः 36 और 31 तथा राज्य सभा में 18 और 23। सन 1971 से 2008 तक के लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों और विजेता सांसदों की संख्या से यह स्पष्ट होता है कि नारियों में राजनीति के प्रति रूझान बढ़ा है और उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक किया है। केंद्र ही नहीं राज्य की विधान सभाओं में भी और स्थानीय निकायों में भी नारी

ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्त्रियों की राजनीतिक चेतना देश में फैल रहे लोकतंत्र रहे और समानता के आधुनिक विचारों ने सियों के प्रति पुरूषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और उनकी स्थिति उन्नत करने में काफी योगदान दिया है।

erkf/kdkj d: i{fr :>ku & लोकतंत्र में राजनीति के द्वार की सडत्रक मताधिकार से होकर जाती है। मताधिकार को प्रजातंत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय नारी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ी है तो पहले उसने मताधिकार के महत्व को पहचाना है। भारतीय स्वाधीनता के पश्चात् 1950 में जब संविधान का अंगीकार किया गया तो लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1952 ई. से प्रथम आम चुनावों के साथ नर–नारियों को अपने महाधिकार के प्रयोग का अवसर मिला। नारियों ने धीरे–धीरे उसका प्रयोग करना आरंभ किया और इसकी शक्ति को जाना। मताधिकार के प्रति पर्याप्त रूचि प्रदर्शित की। अब तो स्थिति यह है कि महिलाएं चुनावी यज्ञ आहूति में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेती है और अपने मताधिकार का उपयोग करती है।

vkfFkd vkRefuHkjrk & इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी समाज को विकसित और सभ्य तभी कहा जा सकता है, जब वहां समाज के प्रत्येक वर्ग की राजनीति व अन्य क्षेत्रों में भागीदारी हो, सत्ता में भागीदारी हो और जहां सभी को आगे बढ़ने के अवसर समान रू‹ से प्राप्त हों। आर्थिक निर्भरता के बिना क्या हम नारी सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। नारी की इसी आर्थिक आत्म–निर्भरता के संबंध में हम कतिपय बिंदुओं का विवेचन कर उसकी आत्म निर्भरता को स्पष्ट करेंगे–

vkfFkd fuHkjrk dh lkp & नौकरी करती हुई 'आर्थिक निर्भरता से संतोष प्राप्त कर भारतीय नारी एक सीमा तक सफल हुई है। आर्थिक क्षेत्र में नारी के आने से उसकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती है। घर के लोग काम करते हैं, मगर व्यवहार कुछ ऐसा करते हैं मानों उस कामकाजी नारी पर कुछ एहसान कर रहें हों। शिक्षा का प्रचार–प्रसार तेजी से होने के कारण शिक्षित पारी को नौकरी की सुविधाएं मिलने लगी है, जिससे नारी की आर्थिक आत्म–निर्भरता की सोच बढ़ी है। 'नार्वे' उपन्यास की 'मालती नौकरी के द्वारा स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा पूरी करती है किंतु सोम के हाथों अपना सर्वस्त्र लुटाकर, फलतः उसकी मां ही उसे घर से दुत्कार कर उसे भगा देती है। महिला कथाकारों के अधिकांश उपन्यासों में नारी के आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाओं का बहुत ही सूक्ष्मता से चित्राकंन किया गया है।

ukjh dh Lor=rk&cnh :Ik l: eDrrk & नारी की स्वतंत्रता के साथ–साथ उसका आर्थिक दृष्टि से सक्ष्मीकरण आवश्यक है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो नारियां आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी है उनका शोषण नहीं के बराबर है। नारी शक्ति है, वह अपने परिवार की धुरी है। परिवार के आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए वह अथक परिश्रम करती है। भारत में निम्न वर्गीय श्रेणी की स्त्रियां मजदूरी करती है। सम्पन्न विचारों में नौकरानी का काम करती है और पति की आर्थि वे जवाबदार प्रवृत्ति को संभालती है।

lnHk xFk lph %&

1. डॉ. रेणुका मोरे : नारी विमर्श की नई दिशाएं, पृ. 61।
2. महेन्द्र कुमार जैन : हिन्दी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण, पृ. 216।
3. डॉ. प्रमिला कपूर : दि चेंनिग स्टेटस ऑफ दि वर्किंग बीमेन इन इण्डिया, पृ. 5।
4. डॉ. के. एस. पन्निकर : भारतीय नारी, पृ. 36।
5. नासिरा शर्मा : ठीकरे की मंगनी, पृ 201।
6. कृष्णा अग्निहोत्री : नीलोफर, पृ. 183।
7. प्रभा खेतान : आओ पेपे घर चलें, पृ. 36।
8. यशपाल : तेरी मेरी उसकी बात, पृ. 288।
9. कमलेश्वर : काली आंधी, पृ. 142।
10. नासिरा शर्मा : औरत के लिए औरत, पृ. 175।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 3 Jan. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact factor-4.2 Research Journal

नये मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात् गोड़ जनजाति की आर्थिक स्थिति

छत्तर सिंह लोधी
शोध छात्र – रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

गोड़ जनजाति की आर्थिक स्थिति – विश्व का प्रत्येक मानव समूह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इत्यादि दृष्टि से अनेक वर्गो, समुदायों और श्रेणियों में विभाजित हैं भारतीय जनमानस के परिप्रेक्ष्य में यह विभेद, भारतीय समाज की अभिन्न और अनूठी विशेषताओं के रूप में सदैव विधमान रहा हैं। सामाजिक आधार पर यद्यपि जाति संरक्षण हमारे समाज की अभिन्न विशेषता रही है, किंतु सामाजिक विकास के सम्पूर्ण इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं मिलता जिसमें आर्थिक आधार पर भी भारतीय समाज धनी निर्धन शोषक शोषित, विकसित–अविकसित जैसी श्रेणियों में विभाजित न रहा हो। भारत में जनजातियों का जीवन एक दीर्धविधि तक सामाजिक –आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ शोषित और उपेक्षित रहा हैं। स्वाधीनता के पश्चात् भारत के संविधान में जब लोक कल्याणकारी एंव समाजवादी राज्य की अवधारणा को जोड़ा गया तब अविकसित तथा तथा पिछड़े हुए समुहों का जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया गया हैं और उसके अंतर्गत जनजातिय समूहों की भी एक विस्तृत अनुसूची तैयार की गई ताकि उनकी समस्याओं का उन्हीं के परिवेश में प्रभावपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जा सके। अनुसूचित जनजातियां देश की जनसख्या का 82 प्रतिशत है। इसमें साक्षरता की दर 30 प्रतिशत से भी कम हैं। ये सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और अत्यंत कमजोर हैं। अतः उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से भारत एंव राज्य सरकारों ने आरंभ से ही विभिन्न आर्थिक नियोजनों और योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातियों के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु प्रयास किए।

गोड़ जनजातियॉ हों या समाज का कोई भी समुदाय वर्ग या व्यक्ति, सभी को अपने आर्थिक, सामाजिक व सर्वागीण विकास करने का पूरा अधिकार हैं किंतु परिस्थिति वर्ष समाज में कुछ एसे भी लोग हैं जो विकास के लिए स्वंय सक्षम नहीं हैं तथा अत्यंत पिछड़े, कमजोर और वंचित हैं। ऐसे लोगों को विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य उत्तरदायी हैं। इसी अवधारणा को लेकर केंद्र एंव राज्य सरकारों ने समाज के एक–एक वंचित वर्ग ''गोड़ जनजातियों'' के विकास और उत्थान के लिए स्वाधीनता पश्चात् रणनीति बनाई और इस हेतु विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा तैयार की हैं। इसी दृष्टि से शासन द्वारा गोड़ जनजातियों के आर्थिक विकास एंव सामाजिक कल्याण हेतु दो प्रकार की रणनीति अपनाई गई हैं। प्रथम आदिवासी उपयोजनांतर्गत विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से की योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा दूसरा, आदिम जाति कल्याण विभाग में माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता हैं। विभाग द्वारा क्रियान्वित आदिवासी विकास की योजनाओं में रोजगार एंव शिक्षा विशेष योजनाऍ प्रमुख हैं ताकि जनजातिय लोंगो को आर्थिक व सामाजिक दोनों ही दृष्टि से उन्नत किया जाऐ। शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों का वितरण, छात्रावास, आश्रम भालाओं का संचालन, आर्थिक सहायता व स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने तथा रोजगार/आजीवका उपलब्ध कराने की योजनाऍ क्रियान्वित की जाती हैं। वनोपज सहकारिता के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का गठन एंव संचालन जनजातियों के हाथों में देना इन्हींयोजनाओं का एक भाग हैं।

गोड़ जनजातियों सुंदूर क्षेत्रों में निवास करती हैं जहॉ संचार संसाधनों, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं की कमी हैं। शिक्षा से विमुख रहने के कारण ये लोग आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। इनके पास जीविकोपार्जन का कोई भी स्थायी साधन नहीं हैं इस कारण इनका जीवन नीरस रहता हैं और राष्ट्र के निर्माण व विकास मे इनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाती हैं। इसलिऐ शासन द्वारा इनके सतत् विकास हेतु कई योजनाऍ आरम्भ की गई हैं। इनके आर्थिक एंव सामाजिक विकास के लिए समुंचित प्रबंध किए गए हैं और उन्हें पोषण से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहयोग से जनजातियों के

विकास के लिए समयानुकूल प्रयास किए हैं। यद्यपि इस में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों के उत्थान हेतु विकास कार्यक्रम बनाए व क्रियान्वित किए जाते हैं जिनमें आदिवासियों को असमर्थता, निर्धनता तथा पोषण से मुक्त करने और राजनैतिक जागरण के दौर में ले जाने के साथ–साथ उचित शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य एंव आर्थिक–सामाजिक विकास के कार्य संलग्न हैं।

आदिवासियों को विकास योजनाओं व कार्यक्रमों का सीधा लाभ मिल सके जनजातीय समुदाय में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें आर्थिक सामाजिक रूप से सक्षम बना कर प्रगति के मार्ग पर प्रवृत्त करना ही जनजातियों का विकास हैं ताकि उनके जीवन के सभी पहलुओं का संतुलित विकास हो और उन्हें भी सुखी व संतुष्ट जीवन व्यतीत करने के अवसर प्राप्त हों। वस्तुतः जनजातियों के विकास का उद्देश्य विद्यमान विघटित, जटिल व्यवस्थाओं को सुधारकर एक श्रेष्ठकर तथा अधिक कार्यशील जीवन का विकास करना हैं ताकि वे लोग सक्षम और आत्मनिर्भर बनें जिससे वे अपनी उन्नति के साथ ही राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकें।

1. राज्य विकास सहकारी निगमों के जरिये जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ जंगल के लघु उत्पादों के संग्रह और वितरण के इस तरीके से संगठित करेगा कि अनके समुचित लाभ का यथाचित हिस्सा जनजाति के लोगों को मिले। गोड़ जनजाति के हित में लघु उत्पादनों के बारे में एक नई नीति बनायी जायेगी और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सहकारी ढ़ाचें में यथोचित फेरबदल और पुनः संगठन किया जायेगा।

2. सहकारी संस्थानों, जिनमें जनजाति क्षेत्रों की विधायक, एंव सांसद भी शामिल है, के कार्यकलाप की इस दृष्टि से समीक्षा की जायेगी कि वे वनवासी जनजाति लोगों की वास्तविक अवश्यकताओं को पूरा कर सकें। साथ ही विभिन्नं पेशा के जनजातिय लोगों की सहकारी सहमितियां भी बनाई जायेंगी और उनमें आवश्यक ही उत्पादकता एवं प्रबंध–व्यवस्था की योग्यताऐं एवं क्षमताएं विकसित करने के लिए उन्हें यथोचित प्रशिक्षण तथा उद्यमिता के विकास संबंधी कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे जिससे वे उद्यमी बन कर वह अपना रोजगार कर सकें। ऐसे कदम भी उठाये जायेंगे कि वनो विकास पर बुरा असर न पड़े और न उन्हें उसका घाटा महसूस हो। यही नहीं जंगलों में जनजातियों के अधिकारों और उनके लिए रियायतों का संहिताकरण करने की आवश्यकता होगी जिससे की लघु उत्पादनों को प्राप्त कर सकें और उसके प्रसाधानों का प्रयोग कर सकें।

3. उपभोग और उत्पादन के उद्देश्यों के कर्ज को चुकाने के लिये गये सीमित ऋण ने जनजाति के लोगों को दो तरह से सूदखोरों और व्यपारियों के अधीन बना दिया है। ऋण दाताओं और व्यपारियों के कर्ज को चुकाने के चक्कर में उनके विकास प्रदत्त लाभ उन्हें न मिलकर दूसरी ओर चले जाते हैं। भूमि या दूसरी किसी परिसम्पति के रुप में उनके प्रसाधनों का आधार उनसे छिन जाता है। इसलिए आठवी योजना के प्रमुख उद्देश्य के रुप में उन्हें अर्थात जनजातियों को बैंको और सहकारी संस्थाओं से पर्याप्त ऋण दिलाया जायेगा।

4. आदिम जनजाति समूहों के लिए ऐसी विस्तृत योजनाएं बनाई गई जिनसे, जहां तक सम्भव हो, उनके परिवार को इकाई मानकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके। बाह्य संरचना और विकास संबंधी अन्य आव यकताओं की विशेष रुप से पहचान की जायेगी जिससे की एक एकीकृत एवं समन्वित योजना का विकास किया जा सके। ऐसे योजनाएं बनाई जायेंगी जिनमें उन समुदायों के जीवन के सामाजिक–आर्थिक संगठनों, उनके हितों, उनकी रुचियों और योग्यताओं का विशेष रुप से ध्यान रखा जायेगा।

नये मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात् गोड़ जनजाति की आर्थिक स्थिति – मध्यप्रदेश अपनी स्थापना के 67 बंसत पार कर चुका हैं। पॉच दशकों से अधिक की इस अवधि में इस राज्य ने परिवर्तनो के अनेक रूप देखे। 1 नवम्बर 1956 को यह अस्तिव में आया 1 नवम्बर 2000 को इसका एक भाग नये राज्य गठन के साथ छतीसगढ़ बन गया। मध्यप्रदेश जनसंख्या के मान से देश का सातवॉ प्रदेश हैं, इस राज्य की जनसंख्या 72,597565 हैं तथा इसका क्षेत्रफल 308252 वर्गमील एंव घनत्व 236 मील, साक्षारता 70.60 प्रतिशत जिनमें

31,443,652 पुरूष एंव 28,904,317 महिलाएँ एंव गोड जाति की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 9,155 एंव गोड जनजाति की आबादी 12,233 हैं। राज्य की अधिकांश जनसंख्या आज भी गॉव में निवास करती हैं।

खेती किसानी से आज भी अधिकांश लोगों का जीवन–यापन हो रहा हैं। मध्यप्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति एंव गोड़ जन जाति की आबादी 355 फीसदी है। गोड़ जनजाति वर्ग की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 15316784 जनसंख्या हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्यप्रदेश में उपलब्ध हैं, यहॉ कुल वन क्षैत्र 94,69 हजार वर्ग किलोमीटर है। जो कुल क्षैत्रफल का 3072 है। विधानसभा क्षेत्र 230, जिला 51 राज्यसभा सदस्य 11, संभाग 10 एंव लोकसभा क्षेत्र 29 हैं भौगोलिक मान से यह देश का दूसरा बड़ा राज्य है। 1 नवम्बर 2009 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने स्थापना पर्व पर स्वार्णिम मध्यप्रदेश निमार्ण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए दलीय राजनीति से उपर उठकर ''आओ चले साथ मिलकर'' अभियान प्रारंभ किया हैं। राज्य पुर्नगठन की सिफारिश पर मध्यप्रदेश का गठन हुआ। भारत के ह्रदय स्थल के रूप में सुपरिचित किसी भी अंन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अछूता पूरी तरह से भू–आंवष्ठित राज्य मध्य प्रदेश ,जो देश के ठीक मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को चरितार्थ करता है। मध्यप्रदेश बरार नामक एक प्रान्त अव य था किन्तु इसकी सीमाएँ आज के म.प्र से बिल्कुल भिन्न थी। महाकौशल एवं तथा बरार के जिले इसके अन्तर्गत थे। इसके सीमाएँ बीचोबीच छत्तीसगढ़ तथा बघेलखण्ड की रियासतें थी। उत्तर तथा पश्चिम में छोटी –छोटी रियासतों थी, जो सम्मिलित रूप से के नाम से जानी जाती थी। तथा पश्चिम में मराठी भाषा 8 जिले वर्तमान वर्धा, अकोला आदि तत्कालिक मुम्बई राज्य को तहसील का सुनैल ताप्पा राजस्थान को देकर वहां से सिरोंज तहसील मिलाकर बिरसा को मिला दिया गया एवं भोपाल को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया पहले मुख्य मंत्री पं रविशंकर शुक्ल एंव राज्यपाल पटाभि सीतारैमैया बनाऐ गऐ जबलपुर में हाई कोर्ट की स्थापना कर प्रथम न्यायधीश हिदायतुल्ला को बनाया गया इन्दौर में राज्य लोक सभा आयोग और वित्त निगम का मुख्यालय बनाया गया। 1972 में दो नऐ जिले भोपाल, राजनांदगांव तथा 8 नऐ सभांग भोपाल चम्बल, अस्तित्व में आऐ। 1998 में 16 नऐ जिले आस्तिव में आऐ जिलों का गठन केण्डी. सिंह देव और ण्एस.सी.दुबे समिति की सिफारी ा पर किया गया था बनाये गऐ जिले में जबलपुर से कटनी बस्तर से दातेंवाड़ा आदि प्रमुख थे।

1 नवम्बर 2000 की स्थिति – प्रशासनिक सुविधा हेतु मध्यप्रदेश कों प्रथक करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया और प्रदेश के 16 जिले और 3 संभाग और लगभग 3.5 प्रतिशत भूमि 21 प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई अब पुनः मध्यप्रदेश के बाद 45 जिले और 9 संभाग शेष बचें। 2003 में 3 नये जिले बनाये गऐ और मई 2008 में झाबुआ से अलीराजपुर सीधी से सिंगरोली नऐ जिले के रूप में अतिस्व में आऐ 10वां सभांग शहडोल को बनाया गया। लेकिन अधिक ही लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए नऐ गांव नऐ तहसील एव जिले नऐ संभाग का गठन प्रासगिंक है। वर्तमान समय में 50 जिलों 10 सभांग 341 तहसील और 55394 ग्राम है प्रदेश की कुल संख्या 60385118 है को उन्नत मस्ष्तिक एवं भारीरिक के श्रम द्वारा प्रदेश को नई उॅचाई पर पहुॅचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रशानिक भी पारदर्शी हित को रखते हुये विकेन्द्रीकरण के रूप में गांधी जी के रामराज के सपने को पूरा करने का प्रयास कह रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. सी.पी.एण्ड – बरार एक्ट 1920, शासकीय प्रेस नागपुर, 1920,पृ. 52
2. तिवारी सीमा – मध्यप्रान्त और बरार में भारत छोड़ो आन्दोलन का एक अध्ययन शोध प्रबंध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, सन् 2004 पृ.105
3. अंजुबाला – जनजातियों की राजनीतिक संस्कृति यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 7/31, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली, 2006. पृ.119,117
4. गौतम राकेश, भदौरिया जितेन्द्र सिंह –मध्यप्रदेश का परिचय, टाटा मैग्रा हिल्स एजूकेशन, नई दिल्ली 2002. पृ.1.12 –16
5. कौटिल्य एकेडमी भवर कुआं इन्दौर के नोटस 2009 पृ. 78
6. धुर्वे शालिनी – मध्यप्रदेश आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् आदिवासी अर्थव्यवस्था, का बदलता स्वरूप, शोध प्रबंध, सन् 2003 पृ.174

7. वर्मा डॉ. भगवान सिंह – छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रकाशक मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2000 पृ. 5.
8. सिंह सीमा – जबलपुर जिले में जनजातियों का सामाजिक विकास, आर. डी.वी.वी. जबलपुर, शोध प्रबन्ध 2002 पृ. 89
9. सिन्हा सचिन – भारती प्रसानिक सेवा निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश, भारत की जनगणना 2011–2012 पृ.32,35
10. सिंह सीमा – जबलपुर जिले में जनजातियों का सामाजिक विकास आर. डी.वी.वी. जबलपुर, शोध प्रबन्ध 2002 पृ.11
11. आगे आये लाभ उठाये – जनसम्पर्क विभाग,मध्प्रदेश शासन भोपाल 2011,पृ.73
12. मध्यप्रदेश भाासन आदिम जाति कल्याण विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2011–2012 पृ.20

ISSN : 2394-3580 **Swadeshi Research Foundation** Vol. – 6, No. - 3 Jan. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact factor-4.2 Research Journal

दैवी सम्पदा : एक प्रासंगिक विवेचन

डॉ. जितेन्द्र शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

आलेख सार :- साम्प्रतिक विश्व बाजारवाद और भोगवाद की ज्वाला से संतप्त है। भोगवाद की चरम परिणति आर्थिक भ्रष्टाचार, यौन अनाचार (चारित्रिक दुष्कर्म) के रूप में परिव्याप्त होकर सभ्य समाज के समक्ष एक गंभीर संकट के रूप में उपस्थित है। समाज में बढ़ती हुई हिंसा और धार्मिक विद्वेषाग्नि इसी की 'वाय प्रोडक्ट' मानी जा सकती है। धार्मिक विद्वेषाग्नि जन्य आतंकवाद की समस्या किसी भी परमाणु युद्ध के खतरे से कम नहीं है। कानून बनाकर, संयुक्त राष्ट्र संघ से मसौदा पारित कराकर इसे कुछ सीमा तक कमतर तो किया जा सकता है परन्तु इसका मूलोच्छेदन नहीं किया जा सकता। क्योंकि रक्तबीज की भाँति इसके बीज भोगवादी सभ्यता के दर्शन में ही निहित हैं। अध्यात्मवादी सांस्कृतिक मूल्यों की अमृतवर्षा द्वारा ही भौतिक दाह दग्ध विश्व संस्कृति को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। गीता में प्रतिपादित दैवी सम्पदा को वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में चरितार्थ कर ही ''मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्'' के आदर्श को मूर्तमान किया जा सकता है। ''माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'' की भावना से ही ''ग्लोबल वीलेज'' की अवधारणा साकार हो सकती है। आर्थिक भूमण्डलीकरण और खुले बाजार की नीति से मानवता का योगक्षेम सिद्ध नहीं किया जा सकता।

सर्वशास्त्रमयी भगवद्गीता–एक दिव्य आर्ष ग्रन्थ, जिसमें भारतीय दर्शन, धर्म और आचार (चरित्र) के महनीय मूल्यों का सर्वोत्तम निदर्शन है। समस्त शास्त्रों के मंथन से अमृतमयी गीता का आविर्भाव हुआ है। सम्प्रदाय, जाति और देश की भिन्नता का निराकरण करने वाला गीता एक सार्वभौम सिद्धांत प्रतिपादक ग्रन्थ है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनों ने मानव जाति के लिये एक महान धर्म की नींव डाली। उसके प्रचार से प्राणिमात्र का कल्याण सम्भव है। हृदय दौर्बल्य पर विजयी होकर गीतोक्त उपदेश से मनुष्य कर्मरत हो सकता है, वह भक्ति रसामृत का आस्वादन करता हुआ ज्ञानी बन सकता है। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखों की प्राप्ति उसे अल्पप्रयास से ही उपलब्ध होने में कोई सन्देह नहीं रहता। आधुनिककाल में जो अनेकानेक जटिल प्रश्न नित्यप्रति समाज और व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बुद्धि को चकरा देते हैं, उनके सुलझाने के लिये गीता में पर्याप्त सामग्री विद्यमान है।[i]

जहाँ तक स्वयं गीतानायक कृष्ण का प्रश्न है श्रीकृष्ण, यानी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, युद्धनीति, आकर्षण, प्रेमभाव, गुरुत्व, सुख–दुःख और न जाने और क्या–क्या सब कुछ तो समाया है लीला बिहारी के अनुपम दैवी व्यक्तित्व में। परमात्मा की सम्पूर्ण प्रतिभा का सर्वोत्तम और उच्चतम प्राकट्य है कृष्ण। एक भक्त के लिये श्रीकृष्ण भगवान तो हैं ही साथ में वे विषयासक्त संसारी जीवों को जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।

वस्तुतः गीता भारतीय आर्ष संस्कृति का नांदीपाठ है, जिसका पर्यवसान भारतीय आर्ष परम्परा में प्रतिपादित धर्ममीमांसा, नीति मीमांसा और आचार मीमांसा के साररूप में हुआ है।

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धंगीतामृतं महत्[ii]

किं बहुना। गीता का महात्म्य स्वयं गीतानायक के श्रीमुख से–'गीता में हृदयं पार्थ'' हे पार्थ! गीता तो मेरा हृदय ही है।

अन्यान्य भारतीय दर्शनों की तरह गीता का भी अन्तिम उद्देश्य मानव मुक्ति के लिये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है। परन्तु काम, क्रोध, मोह के बाहुपाश में आबद्ध संसारी जीव के लिये किसी एक मोक्षमार्ग का अनुसरण कर पाना अत्यंत दुःसाध्य होता है, क्योंकि सभी जीवों की प्रवृत्तियाँ गुण और स्वभाव पृथक्–पृथक् होते हैं। इसी मनोविज्ञान को केन्द्र में रखकर गीताकार मोक्ष हेतु पृथक्–पृथक् मार्गों की विवेचना करता है–

मार्गस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया
ज्ञानं कर्मं च भक्तिं च नोपायोऽन्यास्ति कर्हिचित्।।[iii]

जिस प्रकार उत्तम फसल प्राप्त करने के लिये कृषक को बीजवपन के पूर्व भूपरिष्कार करना पड़ता है। आधुनिक कृषि विज्ञान की शब्दावली में 'मृदा परीक्षण' कराना पड़ता है। उसी प्रकार गीताकार एक महान मनोवैज्ञानिक की तरह प्रथमतया मानवीय प्रकृति का अध्ययन करता है और निष्कर्षरूप में घोषणा कर देता है कि मनुष्य की दैवी, आसुरी और राक्षसी प्रकृतियों में से केवल दैवी प्रकृति से ही मोक्षसाधना सम्भव है। आसुरी तथा राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन करने वाली हैं।

''तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृतिः निबन्धनाय आसुरी राक्षसी च''

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेद।।[iv]

दैवी सम्पदा को धारण करने वाला व्यक्ति संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है जबकि राक्षसी और आसुरी सम्पदा वाला व्यक्ति आवागमन के चक्र में बार–बार पड़ता हुआ मायाग्नि में झुलसता रहता है। आत्मा को नाश करने वाले ये तीनों प्रकार के दोष नरक प्राप्ति के द्वार हैं। ये मनुष्य के कल्याण पथ के कंटक है। जिनको धारण करने से मनुष्य के अधःपतन में क्षणमात्र भी समय नहीं लगता। इनमें प्रवेश करने मात्र से आत्मा नष्ट हो जाता है। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिये। गीता के इस उपदेशामृत से सहमति व्यक्त करते हुये आचार्य शंकर 'विवेक चूड़ामणि' में देहासक्ति को निन्द्य और बन्धनकारी बताते हैं–

मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति
त्यजाति दूरात् विषयान विषं यथा
पीयूषवत्तोष दयाक्षमार्जव
प्रशान्ति दान्तीर्भज नित्यमादरात्।।[v]

दैवी और आसुरी सम्पदा के उक्त कर्तव्यशास्त्र के निरूपण के प्रसंग में गीताकार दैवी सम्पदा की व्याख्या करते हुये कहता है–

अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम~[vi]
अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर पैशुनम्
दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।[vii]
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।[viii]

अभय–निर्भयता, सत्वसंशुद्धि–अंतःकरण की शुद्धि, व्यवहार में दूसरों के साथ ठगाई, कपट और झूठ आदि अवगुणों को छोड़कर शुद्ध भाव से आचरण करना। ज्ञान और योग में निरन्तर स्थिति–शास्त्र और आचार्य से आत्मादि पदार्थों को जानना ज्ञान है और उन जाने हुये पदार्थों का इन्द्रियादि के निग्रह से (प्राप्त) एकाग्रता द्वारा अपनी आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना 'योग' है। उन ज्ञान और योग दोनों में स्थिति अर्थात् स्थिर हो जाना तन्मय हो जाना, यही प्रधान सात्विकी दैवी संपदा है।

दान–अर्थात् यथाशक्ति अन्नादि वस्तुओं का विभाग करना, वंचितों को अन्नादि देना। दम–वाह्य इन्द्रियों का संयम। यज्ञ–अग्निहोत्रादि करना। स्वाध्याय–मोक्ष प्रदायी ग्रन्थों का अध्ययन करना, अदृष्ट लाभ के लिये ऋक् आदि वेदों का अध्ययन करना। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि को सहन करना ही तप है। सदा, सरलता सीधापन आर्जव है।

अहिंसा–किसी भी प्राणी को कष्ट न देना।
सत्य–अप्रियता और असत्य से रहित यथार्थ वचन

अक्रोध–दूसरों के द्वारा गाली दी जाने या ताड़ना दी जाने पर उत्पन्न हुये क्रोध को शांत कर लेना। त्याग का तात्पर्य–संन्यास से है। अंतःकरण का संकल्प रहित होना ही शान्ति है। अपैशुन का तात्पर्य–चुगली न करना। भूतों पर दया–दुःखी प्राणियों पर कृपा करना, अलोलुपता–विषयों के साथ संयोग होने पर भी इन्द्रियों में विकार न होना। कोमलता अर्थात् अक्रूरता ही मार्दव है। ह्री–लज्जा और अचपलता–बिना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदि की व्यर्थ क्रियाओं का न करना। तेजस्विता ही तेज है। गाली दिये जाने या ताड़ना दिये जाने पर भी अन्तःकरण में विकार उत्पन्न न होना ही क्षमा है। धृति–शरीर और इन्द्रियादि में थकावट उत्पन्न होने पर उस थकावट को हटाने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उका नाम 'धृति' है, जिसके द्वारा उत्साहित हुई इन्द्रियाँ और शरीर कार्य में नहीं थकते। शौच से तात्पर्य बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि से है। मिट्टी, जल, दन्तधावन आदि से शरीर की वाह्य शुद्धि की जाती है। कपट, रागादि की कालिमा का अभाव होकर जब मन और बुद्धि निर्मल हो जाती है तो इससे आभ्यंतर शुद्धि प्राप्त होती है। दूसरे का घात करने की इच्छा का अभाव यानी हिंसा न करना ही

अद्रोह है। अपने में अतिशय पूज्य (अत्यंत श्रेष्ठता) भावना का न होना ही 'नीतिमानिता' कहलाती है।

उक्तानुसार दैवी सम्पदा को ग्रहण कर व्यक्ति अपने सीमित अहं से ऊपर उठकर नर से नारायण की ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसी स्थिति को वेदान्त शब्दावली में 'स्वमहिम्निप्रतिष्ठितः' से संज्ञापित किया गया है। जाति, धर्म, रूप, रंग, लिंग, भाषा–वेशभूषा आदि की सीमितता से ऊपर उठकर प्राणिमात्र में स्वयं को और स्वयं में प्राणिमात्र को देखने का भाव ही ब्रह्मकार वृत्ति है। यही दैवी सम्पदा की अन्तिम फलश्रुति है।

आइये वर्तमान सन्दर्भों में दैवी सम्पदा की प्रयोजनशीलता पर एक समीक्षात्मक दृष्टि डालें। अहिंसा–अपने अभावात्मक अर्थ में जहाँ प्राणिमात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट न देने से सम्बन्धित है वहीं भावात्मक अर्थ में अहिंसा प्राणिमात्र के प्रति प्रेम का सन्देश देता है। अपने इस वृहत्तर दृष्टिकोण में अहिंसा–'ममैवांशो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः' के दिव्य भाव में परिणत होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' का भाव ग्रहण कर लेती है। सम्प्रति शान्ति और सहकारित का अरुणिम आलोक हिंसा–निशा की यवनिका से आवृत्त हो चुका है। आतंकवाद के माध्यम से की जाने वाली हिंसा ने आधुनिक सभ्य समाज के अस्तित्व के समक्ष ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसे में मानव जाति अहिंसा की दैवी सम्पदा को आत्मसात कर ही अपने योगक्षेम का पथ प्रशस्त कर सकती है। सत्य का आदर्श तो आर्ष संस्कृति का मूल ही है। सत्यं वद, सत्यान्नप्रमदितव्यम्[ix] जिनमें तप, ब्रह्मचर्य और सत्य है उन्हीं को ब्रह्म या परमात्मा की उपलब्धि होती है जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया है उनके द्वारा नहीं।[x] आदि वचनामृतों द्वारा उपनिषदों में सत्य की महिमा गायी गयी है। मुण्डकोपनिषद के महावाक्य 'सत्यमेव जयते सत्येन पन्था विततो देवयानः' में सत्य की गरिमा अभिव्यक्त है। वस्तुतः वैयक्तिक जीवन हो या हो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय जीवन सर्वत्र परिव्याप्त अशांति और कलुषता के कुहासे को सत्य और प्रेम की प्रदीप्त ज्योति से ही दूर किया जा सकता है। निरन्तर वर्धमान जनसंख्या विश्व समुदाय के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आयी है। ढेर सारे कृत्रिम प्रतिबन्धक साधनों को अपनाने के बावजूद भी समस्या सार्वकालिक हल से परे है। दम या ब्रह्मचर्य का उक्त गीतोक्त आदर्श इस समस्या के समाधान की कुंजी है। पातंजल योग प्रदीप में वर्णित है–

''ऋतु काले स्वदारेषु संगतिर्या विधानतः
ब्रह्मचर्य तदोक्तं गृहस्थाश्रम वासिनाम्''[xi]

अर्थात् ऋतुकाल में अपनी धर्मपत्नी से विधियुक्त अर्थात् शास्त्रानुसार केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये समागम करने वाला पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुये ही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का यह नैतिक आदर्श समाज को यौन अनाचारों (दुष्कर्म और चारित्रिक पतन) से मुक्ति का सहज मार्ग सुझाता है। त्याग और अपरिग्रह परस्पर सम्प्रयोज्य हैं। त्याग का दैवी सम्पदा का आदर्श ईसावास्य उपनिषद के ऋषि के मनोभावों का गीतोक्त संस्करण है। प्राचीन को नये रूप में देखने, समझने और परखने का नया विधान है।

''ईसावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।।''[xii]

त्याग पूर्वक भोग का यह भारतीय सांस्कृतिक आदर्श आर्थिक भ्रष्टाचार के निवारण हेतु रामबाण है। भारतीय सांस्कृतिक नैतिक व्यवस्था में आनन्द और व्यक्ति के बीच वैभव की मध्यस्थता आवश्यक नहीं है। समस्त राजभोगों और कंचन–कामिनी का परित्याग करके भी साधकों ने अलौकिक आनन्द का अनुभव किया है। जीवन के अवसान काल में संन्यास आश्रम में प्रवेश करके प्रत्येक भारतीय समस्त भोगों के प्रति निर्लिप्तता का भाव लाते हुये मोक्ष की साधना करता है।

जहाँ समस्त भौतिक संसाधनों से सम्पन्न वातानुकूलित कक्ष में शयन करते हुये भी एक पूँजीपति को सुखपूर्वक विश्रान्ति के लिये नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं वहीं एक भारतीय श्रमिक श्रमबिन्दुओं से लथपथ होते हुये भी 'साईं इतना दीजिये जामे कुटुम समाय' की प्रार्थना के साथ 'परद्रव्येषु लोष्ठवत्' के आदर्श को मूर्तमान करता हुआ पर्णासनों पर भी जेठ की दुपहरी सुख और शान्ति के साथ काट देता है। इससे स्पष्ट है कि भौतिक समृद्धि से वास्तविक आनन्द का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि गीताकार द्वारा प्रतिपदित त्याग की दैवी सम्पदा को विश्व समुदाय अपना ले तो जन–जन के बीच अर्थ के वैषम्य से उत्पन्न मालिन्य और कलुषता को सहज ही समाप्त किया जा सकता है।

आत्मस्वरूप का बोध और व्यवहार में उसकी अनुभूति ही ज्ञानयोग सम्पदा है। आत्मज्ञानी व्यक्ति

अपने में सबको और सबमें अपने को देखता है। परिणामतः उसके कार्यव्यवहार में अपने और पराये का भेद शून्य हो जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत' के आदर्श को साकार करते हुये प्रतिक्षण सर्वभूत हित रहते हुये भी कर्मबन्धन से मुक्त होता है।

'योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।''[xiii]

श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णित है–जिस समय योगी दीप के समान प्रकाशस्वरूप आत्मभाव ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार करता है उस समय अजन्मा, अचल और देव को जानकर सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है।[xiv]

वस्तुतः अपने और पराये का भाव ही सारे अनर्थों की जड़ है। समस्त भारतीय दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को अपनेपन की इसी सीमितता से ऊपर उठाकर विश्वात्मा के स्तर पर प्रतिष्ठित करना है। चिदानन्द की यही अनुभूति, व्यक्तित्व की यही विराटता वास्तविक मोक्ष है।

दैवी सम्पदा के रूप में तेज की साम्प्रतिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालूं उसके पूर्व आइये युवाओं की वर्तमान दशा और दिशा पर यथार्थ की पैनी नजर डालें। युवा पीढ़ी राष्ट्र का भाग्य और भविष्य होती है। परन्तु वर्तमान युवा पीढ़ी को घुन लग गया है। ये अन्दर और बाहर दोनों से खोखले होते जा रहे हैं। ब्रह्मस्, ओजस और तेजस की उपलब्धि आज के युवाओं के लिये स्वप्न सदृश हो गया है। इनके भटकते और बहकते कदम सोचनीय और चिंता के सबब बन गये हैं। यौनाचार अपराध की दर भी बढ़ी–चढ़ी है। इन्टरनेट के माध्यम से सहजता से उपलब्ध पोर्नोग्राफी साइट का प्रचलन किसी भी अन्य साइट से कई गुना अधिक है। इन साइटों पर अश्लीलता का दबाव और कामुकता का ऐसा प्रचार कि कामाचार के सन्दर्भ में मनुष्य गधों और कुत्तों से भी नीचे गिर गया है। अमेरिका में लगभग 10 लाख किशोरियाँ प्रतिवर्ष बिन व्याही माँ बन जाती हैं। इनमें से 05 लाख बीस हजार बच्चों को जन्म देती हैं। 405000 गर्भपात के दौर से गुजरती हैं तथा 80 हजार मिसकैरेज हो जाता है। यह आँकड़ा चौकाने वाला है। यह स्थिति मात्र विदेशों की ही नहीं है। 'कूपहिं' में इहाँ भाँग' पड़ी है। पाश्चात्य अपसंस्कृति की भोगवादी वयार ने भारतीय युवाओं को भी मदहोश कर दिया है। युवक–युवतियों में बढ़ता हुआ समलैंगिक सम्बन्धों का प्रचलन और अप्राकृतिक मैथुन का फैशन उस आदिम जमाने की याद दिला देता है जब मानव जाति रक्त सम्बन्धों की पवित्रता भी नहीं जानती थी। रात–रात जागकर बाँस की नलिकाओं से ग्रह और नक्षत्रों के रहस्यों को बेधने वाले ऋषि पुत्रों की रातें सम्प्रति इन्टरनेट की अश्लील साइटें खँगालने में बीत रही है। दुःख के स्रोतों को सुख का साधन समझ लेना विडम्बना नहीं तो और है क्या? इस विडम्बना से मुक्ति का एक ही उपाय है दैवी सम्पदा के रूप में अपने व्यक्तित्व में तेज और ब्रह्मचर्य को धारण करना। यदि युवा पीढ़ी एक मात्र तेज रूपी दैवी सम्पदा को धारण कर ले तो विश्वमानवता को व्यभिचार और कामाचार के ज्वार में डूबने से बचाया जा सकता है।

सार रूप में हम कह सकते हैं कि गीता में प्रतिपादित दैवी सम्पदा का आश्रय लेकर, 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत' के परामर्श से 'ममैवांशो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः' में आस्था रखकर 'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह[xv] हे मनुष्य! तू सौ हाथों से अर्जन कर। हजार हाथों से दान दे। इसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ तू उन्नति कर, वैदिक ऋचा को, आदर्श को वैयक्तिक जीवन में साकार कर 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' के दिव्य लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। यही कारण है कि सम्प्रति भौतिक दृष्टि से नितान्त सम्पन्न राष्ट्र भी आत्मशांति के उद्देश्य से इसी भारतीय आर्ष चिंतन की ओर श्रद्धावनत हैं। इसी मन्तव्य की पुष्टि डॉ. जेम्स काजिन्स की निम्नोक्त उक्तियों में निहित है–

''भारत की आदर्श किन्तु अमर संस्कृति जिसने साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा है, मनुष्य मात्र के लिये उपयोगी है। यही कारण है कि आज का युरोप अपनी घातक सभ्यता से दुःखी होकर भारत की ओर देख रहा है।[xvi]

सार रूप में हम कह सकते हैं कि गीता में प्रतिपादित 'दैवी सम्पदा' नर से नारायण की प्राप्ति का सहज उपाय है। मानवता के त्रिविध तापों को शमन करने वाली एवं परमकल्याण मयी है।

lUnHk lph %&

---

i श्रीमद्भगवद्गीता–भूमिका, गीताप्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
ii प्रो.पाण्डेय संगम लाल (2002) भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण सेण्ट्रल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद पृ.सं.57, गीता माहात्म्य
iii वाचस्पति गैरोला–भारतीय दर्शन, पृ.सं.61.
iv श्रीमद्भगवद्गीता 16/21 गीता प्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
v श्रीमदाद्यशंकराचार्य–विवेक चूड़ामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर, श्लोक सं.84
vi श्रीमद्भगवद्गीता 16/1, गीता प्रेस गोरखपुर।
vii वहीं 16/2
viii वहीं 16/3
ix तैत्तिरीय उपनिषद पृ.सं.35। अन्तर्गत ईशादि नौ उपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर.
x प्रश्नोपनिषद, पृ.सं.165। अन्तर्गत ईशादि नौ उपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर
xi पातंजल योग प्रदीप–श्री स्वामी ओमानन्द तीर्थ, पृ.सं. 395, गीता प्रेस, गोरखपुर
xii ईसावास्योपनिषद, प्रथम श्लोक–अन्तर्गत ईशादि नौ उपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर
xiii श्रीमद्भगवद्गीता 5/7 गीता प्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
xiv श्वेताश्तरोपनिषद 2/15 गीता प्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
xv अथर्ववेद 3/24/5
xvi कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक पृ.सं.205, कल्याण कार्यालय गोरखपुर